राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–548/2025

गिर्राज प्रसाद शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान–सरकार, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, दौसा।
3. तहसीलदार, तहसील कार्यालय दौसा, जिला दौसा।
4. हेमलता मीणा, पटवारी, पटवार मण्डल, नयागांव, तहसील लवाण, जिला दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2025
आदेश की दिनांक : 07.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का पदस्थापन आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा पटवारी के पद पर पटवार मण्डल भण्डाना, तहसील दौसा, जिला दौसा में किया गया था। तभी से अपीलार्थी उक्त पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण भण्डाना/दौसा से महाराजपुरा/पापडदा में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त स्थानांतरण कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा द्वारा किया गया है। उनका कथन है कि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा समस्त जिला कलक्टरों को परिपत्र दिनांक 05.05.1989 प्रेषित किया गया था जिसमें यह निर्देश दिए गए थे कि जिले में कार्यरत पटवारियों का दो वर्ष से पूर्व स्थानांतरण करना आवश्यक हो तो उनका पूर्ण औचित्य बताते हुए सम्भागीय आयुक्त से अनुमति प्राप्त की जावे एवं अनुमति के पश्चात् ही स्थानांतरण आदेश जारी किए जावे। उनका आगे

कथन है कि राजस्व मण्डल के उपरोक्त दिशा–निर्देशों की अवहेलना करते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण एक हलके से दूसरे हलके में 2 वर्ष से पूर्व ही सम्भागीय आयुक्त की अनुमति प्राप्त किए बिना किया गया है। ऐसे में स्थानांतरण आदेश स्थगित रखा जावे।

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण बिना सम्भागीय आयुक्त की अनुमति के 2 वर्ष पूर्व ही किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के संबंध में स्थानांतरण का औचित्य दर्शित किया जाना भी आवश्यक था, जो दर्शित नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने अपने तर्कों के संबंध में न्यायिक दृष्टांत राजपाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 544 / 2024 के निर्णय दिनांक 18.03.2021 की प्रति प्रस्तुत की है जिसके आधार पर अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि पटवारियों का स्थानांतरण अनावश्यक कारणों से नहीं किया जाना चाहिए। पटवारियों का स्थानांतरण करने से पूर्व अधिकारी को अपनी संतुष्टी दर्ज करना आवश्यक है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के आधार पर अपीलार्थी अधिवक्ता का कथन है कि स्थानांतरण आदेश में कोई संतुष्टी दर्ज नहीं की गई है। उनका यह भी तर्क है कि ऐसा ही मत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 1618 / 2025 सोनू बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 27.01.2025 एवं एसबी सिविल याचिका संख्या 1605 / 2025 हजारीराम बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 27.01.2025 में दिया गया है।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता का मौखिक रूप से कथन रहा है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों से किया गया है। चुंकि प्रशासनिक कारण होना स्थानांतरण आदेश में अंकित किया गया है। ऐसे में स्पष्ट है कि अपीलार्थी के संबंध में संतुष्टी दर्ज होना माना जा सकता है। उनका यह भी कथन है कि राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित दिशा–निर्देश दिनांक 05.05.1989 में दो वर्ष पूर्व पटवारियों का स्थानांतरण करने से पूर्व सम्भागीय आयुक्त की अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक माना है, परन्तु प्रशासनिक कारणों से नियमानुसार स्थानांतरण किया जा सकता है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण राजस्व मण्डल के दिशा–निर्देशों के विरूद्ध होना नहीं माना जा सकता है।

5. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया।

6. माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण समयसिंह मीणा बनाम राजस्थान राज्य (2024 0 Supreme(Raj)851) निर्णित दिनांक 09.07.2024 में पटवारियों के स्थानांतरण के संबंध में परिपत्र दिनांक 05.05.1988 व 30.10.1993 के संबंध में यह माना है कि उक्त दिशा–निर्देश आज्ञापक प्रकृति के नहीं है, वो केवल स्थानांतरण नीति होना माना जा सकता है। उक्त निर्णय में यह भी माना गया है कि स्थानांतरण राजकीय सेवा का एक भाग एवं सरकार प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए नियमानुसार अपने कर्मचारी का स्थानांतरण कर सकती है ताकि ठीक प्रकार से प्रशासन व्यवस्था रखी जा सके।

7. प्रकरण शिल्पी बोस एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (1991 Supp (2) SCC 659) में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest. The High court over looked these aspects in interfering with the transfer orders."*

8. अतः उपरोक्त न्यायिक को दृष्टिगत रखते हुए हम पाते है कि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक आधार पर किए गए स्थानांतरण आदेश को परिपत्र दिनांक 05.05.1989 के आधार पर विधि–विरूद्ध होना नहीं माना जा सकता है क्योंकि अपीलार्थी का स्थानांतरण नियमानुसार प्रशासनिक कारणों से किया गया है। परिपत्र दिनांक 05.05.1989 केवल मात्र दिशा–निर्देश है, आज्ञापक प्रकृति के नहीं है।

9. अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा संतुष्टी दर्ज नहीं की गई है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 3224/2024 भंवर

लाल जाट बनाम राजस्थान राज्य में निर्णय दिनांक 01.03.2024 का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में पटवारियों के स्थानांतरण के संबंध में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है।:–

> "4. So far as the ground of the satisfaction of the officer passing the order is concerned, a Division Bench of this Court in the case of Gopalram vs State of Rajasthan and Anr.; D.B. Spl. Appl. Writ No.53/2020 (decided on 28.01.2020) has held as under:
>
> > "12. Coming to the contention of the appellant that the transfer order issued by the District Collector is violative of provisions of Rule 9 (II) and Rule 412, a conjoint reading of Rule 9 and Rule 412 indicates that a Patwari should not be ordinarily transferred, but then, he can always be transferred when considered necessary in the interest of efficiency of work or to fill up vacancy created by long leave, resignation, dismissal, suspension or transfer of the Patwari. Suffice it to say that besides for administrative exigency, a Patwari can be transferred even to fill up the vacant post created on account of various contingencies enumerated. Thus, on account of administrative exigency, inter-alia to fill up the vacant posts, if number of employees holding the post of Patwaris are transferred within the District, in no manner, it can be said that the order impugned passed by the District Collector without recording the satisfaction regarding necessity in the interest of efficiency of work, is violative of provisions of Rule 9 (ii) and Rule 412 of the Rules of 1957. As a matter of fact, the order impugned by itself reflects that the transfers have been effected for administrative exigency to fill up the vacant posts."
>
> 5. In the opinion of this Court, the satisfaction in terms of Rule 9(2) is to be spelt out from the transfer order itself and the term 'satisfaction' cannot be stretched to the extent that the officer concerned would be required to give out detailed specifications as to in what terms and manner, the officer has satisfied himself. The term 'in administrative exigency' or 'for administrative reasons' necessarily implies the satisfaction regarding necessity in the interest of efficiency of work.

10. माननीय उच्च न्यायालय ने अन्य प्रकरण एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 4589 / 2024 प्रवीण कुमार बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2024 में संतुष्टी के संबंध में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

6. This Court is of the clear opinion that the order impugned. passed in the interest of the State for administrative reasons, can definitely be termed to be a satisfaction of the officer concerned. As held by this Court in the case of Bhanwar Lal Jaat vs. State of Rajasthan & Anr.; S.B. Civil Writ Petition No.3224/2024 (decided on 01.03.2024), satisfaction in terms of Rule 9(ii) of the Rules of 1957 is to be spelt out from the transfer order itself and the term 'satisfaction' cannot be stretched to the extent that the officer concerned would be required to give out detailed specifications qua every employee, as to on what terms and in what manner the officer has satisfied himself. The terms 'in administrative exigency' or 'for administrative reasons' necessarily implies the satisfaction regarding necessity in the interest of efficiency of work.

This Court also finds support from the Division Bench judgment in the case of Gopalram (supra) wherein it was specifically observed that on account of administrative exigency, inter-alia to fill up the vacant posts, if number of employees holding the post of patwaries are transferred within the district, in no manner, it can be said that the order impugned passed by the District Collector without recording the satisfaction regarding necessity in the interest of efficiency of work is violative of provisions of Rule 9(ii) of the Rules of 1957."

11. अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर किए गए स्थानांतरण में संतुष्टी अंतर्निहित है। वर्तमान में अपीलार्थी का प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण किया गया है जिससे प्रकट होता है कि सक्षम अधिकारियों द्वारा अपनी संतुष्टी के पश्चात् ही स्थानांतरण आदेश पारित किया गया है।

12. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलार्थी के संबंध में पारित स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है। अतः समस्त अपीलें खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)